

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- प.10(52)आयु./2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक :-

78
20-01-2017

निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
जयपुर।

18 JAN 2017

प्रति (6)

19-1-17

विषय :- परीवीक्षाकाल पूर्ण होने पर नियमित वेतन वृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :- प.1/प्रति-1/चिकि/नियुक्ति/21/2013/25434 दिनांक 29.11.2016।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को उनके दो वर्षीय परीक्षाकाल पूर्ण होने पर नियमित वेतन दिये जाने बाबत वित्त विभाग के परिपत्र एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 22.05.2009, 11.06.2014 एवं 07.08.2014 के अनुसरण में निम्न शर्तों के अध्याधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

शर्त :-

1. यह कि प्रत्येक प्रोबेशनरी चिकित्साधिकारियों को उनके पूर्ण दो वर्षीय सेवाकाल के सन्तोषप्रद सेवा के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित कर लें।
2. जिन प्रोबेशनरी चिकित्साधिकारियों को वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 22.05.2009, 11.06.2014 एवं 07.08.2014 के तहत उनके प्रोबेशन काल में असाधारण अवकाश स्वीकृति कर वृद्धि की गई है, उनके संबंध में वृद्धि की गई अवधि वृद्धि का भी उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में सेवा सत्यापन सुनिश्चित कर अग्रिम कार्यवाही करें।
3. जिन प्रोबेशनरी चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 में जाँच विचाराधीन है, उनकी जाँच पूर्ण होने व जाँच में लिये गये निर्णय के आधार पर तदुपरान्त सेवाकाल का सत्यापन सुनिश्चित करने के बाद ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे।
4. प्रोबेशनरी कार्मिकों के उनके दो वर्ष के गोपनीय वार्षिक प्रतिवेदनों की पूर्ति करवा ली जावे तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनके गोपनीय प्रतिवेदनों में कोई प्रतिकूल टिप्पणी तो नहीं है। तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जावे।

क्र. सं.	नाम चिकित्सक पिता/पति	मय वर्तमान पदस्थापन स्थान	नियुक्ति क्रमांक दिनांक	आदेश संबंधित कार्यालय में कार्यग्रहण दिनांक	परिदीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक	दिनांक जिससे नियमित वेतनमान दिया जाना है।
1	विजय कुमार/महावीर प्रसाद	निराधना, झुंझुनू	प.10(22)आयु./2012 दिनांक 27.10.2014	28.10.2014	28.10.2016	28.10.2016
2	रमेश कुमार/जगरूप कुमावत	बरसनी, भीलवाड़ा	प.10(22)आयु./2012 दिनांक 27.10.2014	28.10.2014	28.10.2016	28.10.2016
3	गिरिराज साहू/घीसालाल तैली	घूस्वरी, अजमेर	प.10(22)आयु./2012 दिनांक 27.10.2014	28.10.2014	28.10.2016	28.10.2016

कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार क्रम सं. 01 से 3 तक अंकित चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जाँच/प्रारम्भिक जाँच/एफ.आई.आर. एवं शिकायत आदि विचाराधीन नहीं है। निदेशक आयुर्वेद विभाग अपने रिकार्ड से भी इसकी पुष्टि कर लें।

अज्ञा से

(सीमा कुमार)

उप-प्रधान सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक प.1/प्रति1/चिकि./नियुक्ति/21/2013/ 1566-17
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक 24-01-17

1. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर/अजमेर।
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुंझुनू/भीलवाड़ा/अजमेर।
3. प्रभारी, जाँच/गोपनीय शाखा आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
4. संबंधित ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्साधिकार श्री.....
5. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को विभागीय बैबसाइट पर प्रकाशन एवं संबंधित कार्यालयों को जरिये ईमेल भिजवाने हेतु।

उक्त ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध निदेशालय स्तर पर वर्तमान में कोई विभागीय जाँच/प्रारम्भिक जाँच/एफ.आई.आर. विचाराधीन नहीं है।

(प्रकाश शर्मा)
निदेशक